

No. CDN-27011/2/2020-CDN-MCA  
Government of India  
Ministry of Corporate Affairs

5<sup>th</sup> Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan  
Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001  
Dated: 14.07.2020

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of *March*, 2020 is enclosed for information.

*HV*

(Hemant Verma)  
Under Secretary to the Govt. of India  
Tele: 23381349

To

All Members of the Council of Ministers

**Copy, with enclosures, forwarded to:**

1. Director, Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
2. Senior PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
3. Senior PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate affairs
4. Dir (NIC) - To upload the communication on official website of the MCA

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF MARCH, 2020:

(1) Notifications:-

(i) Vide notification dated 2nd March, 2020, the following further amendments have been made in the earlier notification number G.S.R. 463(E), dated the 5th June, 2015 issued under section 462 with respect to the exemptions to the Government Companies: -

(a) In the definition of 'Government Company' in clause (45) of section 2 of the Act, an explanation has been inserted to provide that for the purposes of such clause, the "paid-up share capital" shall be construed as "total voting power", where shares with differential voting rights have been issued.

(b) Existing modification in respect of Chapter XII, first and second proviso to sub-section (1) of section 188 (relating to approval of related party transactions by members in certain cases) is altered as under:

- a Government company in respect of contracts or arrangements entered into by it with any other Government company, or with Central Government or any State Government or any combination thereof;
- (ii) a Government company, other than a listed company, in respect of contracts or arrangements other than those referred above, in case such company obtains approval of the Ministry or Department of the Central Government which is administratively in charge of the company, or, as the case may be, the State Government before entering into such contract or arrangement.

[ G.S.R. 151 (E)].

(ii) Vide notification dated 12th March, 2020 the Companies (Incorporation) Second Amendment Rules, 2020 were notified and in Form No. INC-28 the option of filling "Section



of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 under which order passed” has been inserted. [G.S.R.169(E)].

(iii) Vide Notification dated 12th March, 2020 amendment to the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 was made for inserting the option of filing under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 in Form No. GNL-2. [G.S.R.170(E)].

(iv) Vide notification dated 19th March, 2020, the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules 2014, have been amended to allow companies, upto 30/6/2020, to conduct Board Meetings through Video Conference (VC) or other audio visual means for passing resolutions in respect matters which were earlier required to be passed in meetings which required physical presence of directors. This has been done to provide relief to companies in view of the pandemic caused by Covid-19. [G.S.R 186 (E)]

(v) Vide order dated 24th March, 2020, the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 has been made applicable from the financial year 2020-21 instead of being applicable from the financial year 2019-20 as notified earlier. This will significantly ease the burden on companies & their auditors for the financial year 2019-20. [S.O. 1219 (E)]

## (2) CIRCULARS:-

(i) Through the General Circular No. 07/2020 dated 05.03.2020, the Ministry has extended the time limit of filing Form NFRA-2, for the reporting period Financial Year 2018-19, upto 150 days from the date of deployment of this form on website of National Financial Reporting Authority.

(ii) Through the General Circular No. 08/2020 dated 06.3.2020, the Ministry has issued a clarification in supersession of earlier Circular No. 04/2020 dated 17.2.2020 for filing of forms in the registry (MCA-21) by the Insolvency Professional (Interim Resolution Professional or (IRP) or Resolution Professional (RP) or Liquidator) appointed under Insolvency Bankruptcy Code, 2016 for statutory compliances in respect of companies under Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP).

(iii) Through the General Circular No. 09/2020 dated 12.3.2020, the Ministry has extended

the due date of filing of e-forms AOC-4, AOC-4 CFS, AOC-4 XBRL and e-form MGT-7 upto 30.6.2020, for the companies having jurisdiction in UT of J&K and UT of Ladakh without levy of additional fees.

(iv) Through the General Circular No. 11/2020 dated 24.3.2020, the Ministry has implemented various measures under Companies Act, 2013 and Limited Liability Partnerships Act, 2008 to support and enable companies and LLPs in India to focus on taking necessary measures to address the COVID-19 threat including the economic disruptions caused by it. The following are the special measures implemented through such Circular:-

(a) The mandatory requirement of holding meetings of the Board of the companies within the intervals provided in section 173 of the Companies Act, 2013 (CA-13) (120 days) stands extended by a period of 60 days till next two quarters i.e., till 30th September. Accordingly, as a one-time relaxation, the gap between two consecutive meetings of the Board may extend to 180 days till the next two quarters, instead of 120 days as required in the CA-13.

(b) As per Para VII (1) of Schedule IV to the CA-13, Independent Directors (IDs) are required to hold at least one meeting without the attendance of Non independent directors and members of management. For the financial year 2019-20, if the IDs of a company have not been able to hold such a meeting, the same shall not be viewed as a violation. The IDs, however, may share their views amongst themselves through telephone or e-mail or any other mode of communication, if they deem it to be necessary.

(c) Requirement under section 73(2)(c) of CA-13 to create the deposit repayment reserve of 20% of deposits maturing during the financial year 2020-21 before 30th April 2020 shall be allowed to be complied with till 30th June 2020.

(d) Requirement under rule 18 of the Companies (Share Capital & Debentures) Rules, 2014 to invest or deposit at least 15% of amount of debentures maturing in specified methods of investments or deposits before 30th April 2020, may be complied with till 30th June 2020.



- (e) Newly incorporated companies are required to file a declaration for Commencement of Business within 180 days of incorporation under section 10A of the CA-13. An additional period of 180 more days is allowed for this compliance.
- (f) Non-compliance of minimum residency in India for a period of at least 182 days by at least one director of every company, under Section 149 of the CA-13 shall not be treated as a non-compliance for the financial year 2019-20.
- (v) Through the General Circular no. 12/2020 dated 30.3.2020, the Ministry has launched the "Companies Fresh Start Scheme, 2020 which inter alia provides opportunities to Companies to make good any filing related defaults, regardless of duration of defaults, and make a fresh start as a fully compliant entity. The Scheme condones the delay in filing the belated documents and gives immunity from prosecutions and proceedings for imposition of penalty which might arise on account of such delayed filing of documents. No additional fees shall be charged for late filing during a Moratorium period from 1st April to 30th September, 2020 in respect of documents, returns etc required to be filed in MCA-21 Registry.
- (vi) Through the General Circular No. 13/2020 dated 30.3.2020, the Ministry has modified LLP Settlement Scheme 2020 in view of COVID-19 to facilitate LLPs. The modified scheme shall be applicable from 1/4/2020 to 1/9/2020. Under the said scheme, the defaulting LLPs are permitted to file belated documents due for filing till 31/8/2020 on payment of normal filing fee and without paying any additional fee. The defaulting LLPs which have filed the belated documents during the scheme period shall not be subjected to prosecution for such defaults.
- (III) The Ministry is taking necessary action for amending the Companies Act, 2013 [CA-13] to implement the recommendations made by Company Law Committee (2019) to remove criminalization in 46 penal provision of the CA-13 as well as to facilitate ease of living to law abiding corporates. Subsequent to approval of the Cabinet for the Companies (Amendment) Bill, 2020 on 4th March, 2020, the said Bill was introduced in the Lok Sabha on 17th March,



2020. This Bill came for consideration and passing in that House on 23rd March, 2020 but could not be considered/ passed due to adjournment of the House. The said Bill, accordingly, is pending in the Lok Sabha. The text of the Bill, as introduced, is available on the website of the Ministry.

(3) A simple Covid -19 Form , without any fee, was deployed to sensitize and ascertain the readiness of companies to meet the challenges arising out of this pandemic including work from home policy. Close to 2,00,000/- companies have filed this form .

(4) As part of Business Continuity Plan and to enable the officers to work from home, VPN facilities with enhanced bandwidth was enabled. As a result, field offices have commenced working from home.

(5) Central Registration Centre which facilitates name reservation, company/LLP incorporation have been functional with limited available officers and staff. Also, Companies Fresh Start scheme-2020 was system enabled.

(6) Contract was signed with LTI, new service provider for MCA 21, who will be in role of shadow before taking over the system from the existing service provider, Infosys.

(7) Stakeholders have commenced Company Incorporation filings using new company Incorporation Form SPICE+ which was deployed on 23rd February, as part of Government of India's Ease of Doing Business (EODB) initiative. SPICE+ would be an integrated Web Form. SPICE+ has two parts viz.: Part A-for Name reservation for new companies and Part B offering a bouquet of services viz.

(i) Incorporation

(ii) DIN allotment

(iii) Mandatory issue of PAN



- (iv) Mandatory issue of TAN
- (v) Mandatory issue of EPFO registration
- (vi) Mandatory issue of ESIC registration
- (vii) Mandatory issue of Profession Tax registration(Maharashtra)
- (viii) Mandatory Opening of Bank Account for the Company and
- (ix) Allotment of GSTIN (if so applied for)

(8) Report of Committee of Experts constituted by the Ministry on the Institutional framework for regulation and development of Valuation Professionals has been received electronically. Report also contains 'Draft Valuers Bill, 2020'

(9) Press release was given to sensitize the stakeholders as regards provisions of section 406 of Companies Act, 2013 and Nidhi Rules, 2014.

(10) Champion Sector Scheme: The Ministry had earlier submitted a revised proposal under GST Account Assistant Scheme to the DoC for consideration since the previous proposal was not approved for funding by EFC . This was discussed further with DoC. Now, DoC plans to organise a meeting of DoR, MSDE, DoE and MCA to find a way forward.

(11) Investor Education and Protection Fund Authority: Till March 31,2019 ,for FY 2019-10, more than 8000 claims have been approved. Also, MoU with ICICI was signed for Investor education and awareness . Earlier MoUs were signed with Bank of Baroda and Kotak Mahindra Bank.

(12) A total of four (4) cases have been closed by CCI under Section 19 (anti-trust) as well as Section 6 (combination) after receiving Investigation Report from DG, CCI for the month of March 2020.A total of 155 cases under Section 19 and 168 cases under Section 6 are pending for disposal at the end of March, 2020.

(13) The National Company Law Appellate Tribunal asked India's competition watchdog to investigate Walmart-owned Flipkart for alleged unfair business practices through misuse of its dominant position. That overturned a 2018 ruling by the CCI wherein it stated that Flipkart

and Amazon were not violating competition norms as claimed by All India Online Vendors Association.

(14) National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) has held that CCI can't take action retrospectively on abuse of dominant position where the event occurred before the enactment of law. Giving a clean chit to SKF India Ltd, a subsidiary of Swedish bearing and steel maker SKF, in a case of alleged abuse of dominant position, the NCLAT upheld that the alleged instances took place before the relevant provisions of the Competition Act came into force. The NCLAT ruling came on a petition filed by Asmi Metal Products Pvt Ltd challenging a CCI order that dismissed allegations of abuse of dominance against SKF India.

(15) In wake of the outbreak of COVID-19, CCI has suspended its functioning till the lockdown period i.e till 14th April, 2020 and all the matters listed in this span shall be freshly listed once the office resumes. CCI further made provisions for electronic filing of combination notices under Green Channel (Regulation 5A of the Combination Regulations) at [comb.registry@cci.gov.in](mailto:comb.registry@cci.gov.in), between 10:00 AM and 5:00 PM, Monday to Friday.

(16) The Insolvency and Bankruptcy (Amendment) Ordinance, 2019, which was promulgated on 28th December 2019 has been replaced by Insolvency and Bankruptcy (Amendment) Act, 2020 and got president's assent on 13th March 2020. Furthermore, a notification under section 4 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 has been notified on 28.03.2020 (copy attached) by which Central Government specifies one crore rupees as the minimum amount of default for the purpose of said section.



सं. सीडीएन-27011/2/2020-सीडीएन-एमसीए

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,

डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

तारीख: 14.07.2020

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के माध्यम, 2020 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

हृ व

(हेमंत वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23381349

सेवा में,

मंत्रिपरिषद् के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
3. अपर सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
4. निदेशक (एनआईसी) -पत्र को एमसीए की शासकीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

मार्च, 2020 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

### 1. अधिसूचनाएं:-

(i) दिनांक 2 मार्च, 2020 की अधिसूचना के द्वारा सरकारी कंपनियों को छूट दिए जाने के संबंध में धारा 462 के तहत जारी 5 जून, 2015 सा.का.नि. 463(अ) की पूर्ववर्ती सूचना में निम्नलिखित और संशोधन किए गए हैं:-

(क) अधिनियम, की धारा 2 खंड (45) में सरकारी कंपनी की परिभाषा को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रावधान करने के प्रयोजनार्थ स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया गया है कि ऐसे खंड के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त शेयरपूजी को "कुल मतदान शक्ति" के रूप में माना जाएगा जहां विभिन्न मतदान अधिकारों के साथ ऐसे शेयरों को जारी किया गया है।

(ख) अध्याय-XII के संबंध में मौजूद संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए धारा 188 की उप-धारा (1) के पहले और दूसरे परंतुक (कतिपय मामलों में सदस्यों द्वारा पार्टी से संबंधित लेन-देन के अनुमोदन की बाबत) को निम्नानुसार परिवर्तित किया जाता है :-

- किसी अन्य सरकारी कंपनी, अथवा केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा उनकी संयोजन के द्वारा इसमें दर्ज व्यवस्थाओं अथवा संविदाओं के संबंध में कोई सरकारी कंपनी
- उपर्युक्त की तुलना में संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं के संबंध में सूचीकृत कंपनी के सापेक्ष कोई सरकारी कंपनी, यदि ऐसी कंपनी मंत्रालय अथवा केंद्र सरकार के ऐसा विभाग जो प्रशासनिक आधार पर कंपनी का प्रभारी हो अथवा ऐसी संविदा अथवा व्यवस्था में शामिल होने से पहले उसे राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।[सा.का.नि 151(अ)]

(ii) दिनांक 12 मार्च, 2020 की अधिसूचना के द्वारा कंपनियों (निगमन) में दूसरी संशोधन नियम, 2020 को अधिसूचित किया गया था तथा प्ररूप सं. आईएनसी-28 में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 से संबंधित खंड को भरने संबंधी विकल्प को निर्धारित किया गया है जिसके तहत पारित आदेश को सा.का.नि 169(अ) में अंतःस्थापित किया गया है।



(iii) दिनांक 12 मार्च, 2020 की अधिसूचना के द्वारा प्ररूप सं. जीएनएल-2 [सा.का.नि. 170(अ)] के रूप में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत फाइल किए जाने संबंधी विकल्प को अंतःस्थापित करने के लिए कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) नियमावली में संशोधन किया गया था।

(iv) 19 मार्च, 2020 की अधिसूचना के द्वारा उन मामलों के संबंध में संकल्प पारित करने के लिए विडियो कान्फ्रेंस (वी.सी.) अथवा अन्य दृश्यश्रव्य संसाधनों के जरिए बोर्ड की बैठकों को संचालित करने के प्रयोजनार्थ कंपनियों को 30/6/2020 तक अनुमति दिए जाने हेतु कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 में संशोधन किया गया है जिन्हें पहले दूसरी बैठकों में पारित किया जाना था और जिन्हें निदेशकों की वास्तविक मौजूदगी में प्रस्तुत भी करना था। इसे कोविड-19 [सा.का.नि. 189(अ)] उत्पन्न वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए कंपनियों को राहत दिए जाने के लिए पूरा किया गया था।

(v) 24 मार्च, 2020 के जरिए कंपनी (लेखापरीक्षा की रिपोर्ट) आदेश, 2020 को पहले अधिसूचित वित्तीय वर्ष 2019-20 से लागू किए जाने की बजाए वित्तीय वर्ष 2020-21 से लागू किया गया है। इससे वित्तीय वर्ष 2019-20 [सा.आ. 1219(अ)] के लिए कंपनी और उनके लेखापरीक्षकों के भार में काफी कमी आएगी।

## 2 परिपत्र :

(i) सामान्य परिपत्र सं. 07/2020, दिनांक 05.03.2020 के जरिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की वेबसाइट पर इस प्ररूप को लागू करने की तारीख से रिपोर्टिंग अवधि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 150 दिनों तक एनएफआरए-2 प्ररूप की फाइलिंग संबंधी समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है।

(ii) सामान्य परिपत्र संख्या 8/2020, दिनांक 06.03.2020 के जरिए मंत्रालय ने कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत कंपनियों के संबंध में सांविधिक अनुपालनाओं के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत नियुक्त दिवाला पेशेवरों (अंतरिम समाधान पेशेवर अथवा (आईआरपी) अथवा समाधान पेशेवर (आरपी) अथवा तरलता कारक) द्वारा रजिस्ट्री (एमसीए-21) में प्ररूपों की फाइलिंग के लिए दिनांक 17.02.2020 को पूर्ववर्ती परिपत्र 04/2020 के अधिक्रमण में एक स्पष्टीकरण जारी किया है।

(iii) 12.03.2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 9/2020 के जरिए मंत्रालय ने अतिरिक्त शुल्क वसूल किए बिना 30.06.2020 तक संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में



अपना कार्यक्षेत्र रखने वाली कंपनियों के लिए एओसी-4, एओसी-4 सीएसएस, एओसी-एक्सबीआरएल और ई-प्ररूप एमजीटी-7 की निर्धारित तारीख को आगे बढ़ा दिया है।

(iv) दिनांक 24.03.2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 11/2020 के जरिए मंत्रालय ने इसके द्वारा उत्पन्न आर्थिक अवरोधों सहित कोविड-19 के खतरों का समाधान करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक कार्रवाई करने हेतु भारत में कंपनियों और एलएलपी को सहायता देकर समर्थ बनाने के निमित्त कंपनी अधिनियम, 2013 और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत विभिन्न उपायों को कार्यान्वित किया है।

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (सीए-13) 120 दिन) की धारा 173 में संबंधित अंतरालों के बीच कंपनी के बोर्ड की बैठकें आयोजित करने संबंधी अनिवार्य प्रावधान को 60 दिनों अर्थात् अगली दो तिमाहियों यानि 30 सितंबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। तदनुसार गैर-सामयिक छूट के रूप में दो क्रमिक बैठकों के बीच विद्यमान अंतराल को सीए-13 में अपेक्षित 120 दिनों की बजाए 180 दिनों अर्थात् अगली दो तिमाहियों के लिए विस्तारित किया जा सकता है।

(ख) सीए-13 से संबंधित अनुसूची-IV के पैरा VII(i) के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों (आईडी) से यह अपेक्षा की जाती है कि वे गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन सदस्यों की उपस्थिति के बिना कम से कम एक बैठक का आयोजन करेंगे यदि कंपनी का स्वतंत्र निदेशक ऐसी बैठक आयोजित कराने में असफल रहता है तो इस कार्य को किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तथापि, स्वतंत्र निदेशक टेलीफोन अथवा ई-मेल अथवा संचार के किसी अन्य माध्यम के जरिए अपने विचारों को उनके बीच परिचालित कर सकता है बशर्ते की वह ऐसा करना आवश्यक समझता हो।

(ग) 30 अप्रैल, 2020 से पहले वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान परिपक्व होने वाली जमाराशि के 20 प्रतिशत हिस्से को जमा भुगतान आरक्षित राशि सर्जित करने के लिये सीए-13 की धारा 73(2)(ग) के तहत 30 जून, 2020 की अवधि के लिए अनुपालना के प्रयोजनार्थ जमा किया जाएगा।

(घ) कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियमावली के नियम 18 के तहत 30 अप्रैल, 2020 से पहले निवेशों अथवा जमाराशियों में निहित विनिर्दिष्ट पद्धतियों में परिपक्व होने वाले डिबेंचरों की कम से कम 15 प्रतिशत राशि का निवेश किया जाएगा अथवा उसे जमा किया जाएगा।

(ङ) नई निगमित कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सीए-13 की धारा 10क के तहत निगमन के 180 दिनों के भीतर संबंधित व्यवहार शुरू करने के लिए की जाने वाली घोषणा



को फाइल करेगी। इस संबंध में 180 और दिनों की अतिरिक्त अवधि को इसकी अनुपालना के लिए अनुमति दी जाती है।

(च) कम से कम एक 182 दिनों की अवधि के लिए भारत में न्यूनतम आवास की गैर-अनुपालना सीए-13 की धारा 149 के तहत प्रत्येक कंपनी के कम से कम एक निदेशक के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान गैर-अनुपालना के रूप में मानी जाएगी।

(V) 30.03.2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 12/2020 के जरिए मंत्रालय ने "कंपनी नवीन प्रारंभ स्कीम, 2020" शुरू की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कमियों की अवधि को ध्यान में लाए बिना उन से संबंधित किसी भी फाइलिंग का नुकसान पूरा करने, और पूर्ण रूपेण अनुपालनकर्ता एंटीटी के रूप में उसे नए सिरे से शुरू करने के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस स्कीम के तहत संबंधित दस्तावेजों की फाइलिंग में किसी भी प्रकार का विलंब अपेक्षित नहीं है। इसके अलावा दस्तावेजों की निलंबित फाइलिंग के कारण उठने वाली समस्याओं के फलस्वरूप अर्थदंड लगाने हेतु मुकद्दमों और संबंधित कार्रवाइयों के माध्यम से इसे सुरक्षा भी प्रदान की गई है। एमसीए-21 रजिस्ट्री में फाइल की जाने वाली अपेक्षित विवरणी और दस्तावेजों के संबंध में 01 अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 की अपेक्षित अवधि के दौरान विलंबित फाइलिंग के लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा।

(VI) 30.03.2020 के सामान्य परिपत्र सं. 13/2020 के जरिए इस मंत्रालय ने एलएलपी को सुग्राही बनाने के प्रयोजनार्थ कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए एलएलपी निपटान स्कीम में संशोधन किया है। यह संशोधन स्कीम 01.04.2020 से 01.09.2020 तक लागू रहेगी। उपर्युक्त स्कीम के तहत चूककर्ता एलएलपी को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क की अदायगी के बिना सामान्य शुल्क फाइल करने संबंधी भुगतान पर 31.08.2020 की अवधि के लिए फाइल करने हेतु संबंधित दस्तावेजों को फाइल करने की अनुमति दी जाती है। स्कीम की अवधि के दौरान दायर फाइल किए गए संबंधित दस्तावेजों के मामले में एलएलपी द्वारा चूक किए जाने पर उसे ऐसी चूकों के लिए किसी प्रकार के मुकद्दमों के अध्यधीन नहीं रखा जाएगा।

(III) विधि और कानून के पाबंद कारपोरेटों की इकाई व्यवस्था को सहज और सरल बनाने के प्रयोजनार्थ सीए-13 के 46वें दांडिक उपबंध में अपराधिकरण को समाप्त करने के लिए कंपनी विधि समिति (2019) द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ यह मंत्रालय, कंपनी अधिनियम, 2013 (सीए-13) में संशोधन करने हेतु आवश्यक कदम उठा रहा है। 04 मार्च, 2020 को कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020 के मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उपरोक्त



विधेयक को 17 मार्च, 2020 को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इस विधेयक पर 23 मार्च, 2020 को उस सदन में विचार करने के बाद पारित किया जाएगा। तथापि, सदन के स्थगित होने के कारण उस पर विचार नहीं किया जा सका/उसे पारित नहीं किया जा सका। तदनुसार उपरोक्त विधेयक लोकसभा में लंबित पड़ा हुआ है। शुरू किए गए विधेयक की पाठ्य समाग्री मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(3) घर से कार्य करने की नीति सहित वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने हेतु बिना किसी शुल्क के एक सरल कोविड-19 प्ररूप निकाला गया है ताकि कंपनियों की तत्परता को सुग्राही बनाने के साथ-साथ उनका निर्धारण भी किया जा सके। अबतक लगभग दो लाख कंपनियों ने इस प्ररूप को भर दिया है।

(4) व्यापारिक निरंतरता योजना के एक भाग के रूप में तथा अधिकारियों द्वारा घर से कार्य निष्पादन को सहज बनाने के प्रयोजनार्थ वृद्धिकृत बैंडविड्थ सहित वीपीएन सुविधाओं को प्रदान किया गया है जिसके फलस्वरूप फील्ड कार्यालय घर से कार्य शुरू कर सकते हैं।

(5) केंद्रीय पंजीकरण केंद्र जो नामों को आरक्षित करने संबंधी सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ कंपनी/एलएलपी निगमन को भी उपलब्ध अधिकारियों और कार्मिकों के साथ क्रियाशील बनाता है। इसके अलावा, कंपनी नवीन स्टार्ट स्कीम, 2020 सिस्टम समर्थित है।

(6) संविदा को एमसीए-21 के लिए एलटीआई, नए सेवा प्रदाता के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसके फलस्वरूप वे मौजूदा सेवा प्रदाता, इन्फोसिस से इस सिस्टम का कार्यभार ग्रहण करने से पहले छाया भूमिका निष्पादित करेंगे।

(7) हितधारकों ने भारत सरकार की सहज पहल (ईओडीबी) के भाग के रूप में 23 फरवरी को ईपीआईसीई+ से निगमित नई कंपनी का इस्तेमाल करने के साथ-साथ कंपनी निगमन को शुरू किया है। ईपीआईसीई+ एक एकीकृत वेब प्ररूप होगा। ईपीआईसीई+ के दो भाग होंगे अर्थात् नई कंपनियों के लिए नाम के आरक्षण हेतु भाग-क और सेवाओं को प्रस्तुत करने के लिए भाग-ख होगा जिसका विवरण निम्नानुसार है



- (i) निगमन
- (ii) डीआईएन आबंटन
- (iii) पैन का अनिवार्य निर्गमन
- (iv) टैन का अनिवार्य निर्गमन
- (v) ईपीएफओ पंजीकरण का निर्गमन
- (vi) ईएसआईसी पंजीकरण का निर्गमन
- (vii) व्यावसायिक कर पंजीकरण (महाराष्ट्र) का अनिवार्य निर्गमन
- (viii) कंपनी के लिए बैंक खाते को अनिवार्यतः खोलना और
- (ix) जीएसटीआईएन का आबंटन (यदि उसके लिए आवेदन किया गया है)

(8) मूल्यन पेशेवरों के विनियमन और विकास के लिए संस्थागत कार्य व्यवस्था पर मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक आधार पर प्राप्त हो गई है। इस रिपोर्ट में मसौदा मूल्यकर्ता विधेयक, 2020 भी निहित है।

(9) कंपनी अधिनियम, 2013 और निधि नियमावली 2014 की धारा 406 के उपबंधों के संबंध में हितधारकों को सुग्राही बनाने के प्रयोजनार्थ एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी।

(10) चैंपियन क्षेत्र स्कीम : मंत्रालय ने कारपोरेट विभाग के विचारार्थ जीएसटी लेखा सहायक स्कीम के तहत एक संशोधित प्रस्ताव पहले भी प्रस्तुत किया था क्योंकि पिछले प्रस्ताव को ईएफसी द्वारा वित्तपोषण के लिए अनुमोदित नहीं किया गया था। इस विषय पर कारपोरेट कार्यविभाग के साथ आगे परिचर्चा हुई थी। अब कारपोरेट विभाग की योजना यह है कि इस संबंध में सुस्पष्ट मार्ग निर्धारित करने के लिए डीओआर, एमएसडीई, डीओई और एमसीए की बैठक आयोजित की जाए।

(11) निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण : 31 मार्च, 2019 तक वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 800 से भी अधिक दावों को अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, आईसीआईसीआई के साथ निवेशक शिक्षा और जागरूकता विषय पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। पूर्ववर्ती समझौता ज्ञापनों पर बैंक ऑफ बड़ौदा और कोटक महिंद्रा बैंक के साथ हस्ताक्षर किए गए थे।

(12) मार्च, 2020 के लिए महानिदेशक, सीसीआई से अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद धारा 19(विश्वास रोधी) और धारा 6 (संयोजन) के तहत सीसीआई द्वारा कुल चार (4) मामलों को बंद



कर दिया गया है। धारा 19 के तहत कुल 155 मामले और धारा 6 के तहत कुल 168 मामलों को मार्च, 2020 के अंत तक निपटान के लिए लंबित पड़े हुए हैं।

(13) अपने बड़े पद के दुरुपयोग से कथित अनुचित व्यापार अभ्यासों के लिए फ्लिपकार्ट के स्वामित्वाधीन वालमार्ट का अन्वेषण करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण ने भारत से जुड़ी प्रतिस्पर्धा की निगरानी के बारे में सवाल किया था जिसे सीसीआई द्वारा 2018 के निर्णय द्वारा निरस्त करने के साथ-साथ यह घोषणा की गई थी कि फ्लिपकार्ट और एमजोन अखिल भारतीय ऑनलाइन विक्रेता एसोसिएशन द्वारा किए गए दावों के अनुसार प्रतिस्पर्धा मानदंडों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं।

(14) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) का विचार है कि सीसीआई प्रमुख पद के दुरुपयोग की बाबत पिछली तारीखों से कार्रवाई नहीं कर सकता है। जहां विधि प्रवर्तन से पहले ऐसी घटना घटित हुई है स्वीडन की एक सहायक कंपनी और स्टील विनिर्माता एसकेएफ को क्लीनचिट देने के बाद एनसीएलएटी का मानना है कि कथित मामले प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रासंगिक उपबंधों से पहले हुए थे। एनसीएलएटी संबंधी निर्णय असमी मेटल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फाइल की गई याचिका पर दिया गया था जिसमें उस सीसीआई आदेश को चुनौती दी गई थी जिसे एसकेएफ इंडिया के सापेक्ष पद के दुरुपयोग के आरोप को निरस्त कर दिया गया था।

(15) कोविड-19 शुरू होने पर सीसीआई ने लॉकडाउन अवधि अर्थात् 14 अप्रैल, 2020 तक के लिए अपने कार्यों को लंबित कर दिया है तथा इस अवधि के दौरान सूचीकृत सभी मामले कार्यालयों के दोबारा खुलने पर सूचीकृत किए जाएंगे। सीसीआई ने 10 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न अर्थात् सोमवार से शुक्रवार के बीच [comb.cegistry@cci.gov.in](mailto:comb.cegistry@cci.gov.in) पर ग्रीन चैनल संयोजन विनियमन का अधिनियम 5क) के तहत संयोजन नोटिसों को इलेक्ट्रॉनिक आधार पर फाइल करने का प्रावधान किया था।

(16) 28 दिसंबर, 2019 को प्रख्यापित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है तथा इस संबंध में 13 मार्च, 2020 को अध्यक्ष की सहमति भी ले ली गई है। इसके अलावा 28.03.2020 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई है (प्रतिलिपि संलग्न) जिसके द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्थ चूक की न्यूनतम राशि के रूप में एक करोड़ रुपये विनिर्दिष्ट करती है।